

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव

जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं
आवास विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / शिक्षा
विभाग / स्वास्थ्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / भवन निर्माण
विभाग / गृह विभाग / कृषि विभाग / पर्यावरण एवं वन विभाग / ऊर्जा विभाग

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना-15, दिनांक- 7/7/15

विषय- **परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के संबंध में।**

महाशय,

अवगत कराना है कि बिहार राज्य में बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से घातक दुर्घटनाओं की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। विगत वर्ष गया जिले में बोरवेल में गिरने से एक 5 वर्षीय बालक की मृत्यु की सूचना है। इसी प्रकार दिनांक-28.06.2015 को पटना जिले के फुलवारी शरीफ प्रखंड में 5 वर्षीय बालिका की मृत्यु बोरवेल में गिरने से हो गई। यद्यपि आपदा प्रबंधन विभाग इन दोनों घटनाओं में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की मदद से बच्चों को बोरवेल से निकालने में सफल हुआ, परन्तु दोनों बच्चों के जीवन की रक्षा नहीं की जा सकी। बोरवेल में गिरने के दौरान दम घुटने से छोटे बच्चों की मृत्यु होना एक अत्यंत ही दुखद एवं कारुणिक घटना होती है, जिस पर तत्काल दृढ़ता पूर्वक रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। विहित हो कि परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा CWJC No. 36/2009 में दिनांक-11.02.2010 एवं पुनः दिनांक-06.08.2010 को यथा संशोधित आदेश में सभी राज्यों के लिए सुरक्षा उपाय एवं दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. अतएव उपरोक्त के आलोक में परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में निम्नांकित उपाय एवं दिशा-निर्देशों का अविलम्ब पालन किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके : -

- किसी भूमि/परिसर के मालिक द्वारा बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण हेतु किसी कदम के उठाने के कम से कम 15 दिन पूर्व संबंधित प्राधिकार यथा- जिला पदाधिकारी/ग्राम पंचायत के सरपंच/किसी अन्य वैधानिक (Statutory) प्राधिकार/भू-गर्भ जल स्रोत विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगरपालिका

- के संबंधित पदाधिकारी, जैसी की स्थिति हो - को बोरवेल/ट्यूबवेल की निर्माण की सूचना अनिवार्य रूप से लिखित रूप में देना होगा।
- ii. खुदाई (Drilling) करने वाली सरकारी /अर्द्धसरकारी/निजी इत्यादि एजेंसी को अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन/वैधानिक प्राधिकार, जैसा कि लागू हो, के यहां निबंधित होना आवश्यक है।
 - iii. बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई के पूर्व उसके समीप निम्नांकित सूचनाओं के साथ साईन बोर्ड लगाया जाय -
 - बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के समय खुदाई (Drilling) करने वाली एजेंसी का पूर्ण पता
 - बोरवेल/ट्यूबवेल के उपभोगकर्ता/मालिक का सम्पूर्ण पता
 - iv. बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के दौरान उसके चारों ओर बारबेड वायर अथवा किसी अन्य उपर्युक्त बेरीयर (अवरोध) के द्वारा घेराबंदी की जायेगी।
 - v. बोरवेल/ट्यूबवेल के चारों ओर भूमि की सतह से .30 मीटर उपर एवं भूमि की सतह .30 मीटर नीचे तक सीमेंट/कंक्रीट का .50 x .50 x .60 मीटर आकार के चबूतरे का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
 - vi. बोरवेल/ट्यूबवेल के पाईप के उपर स्टील प्लेट के वेल्डिंग के द्वारा अथवा बोल्ट और नट के साथ मजबूत ढक्कन लगाया जाय।
 - vii. यदि पम्प की मरम्मत की जानी हो तो ट्यूबवेल/बोरवेल को बिना ढके हुए नहीं छोड़ा जाय।
 - viii. कार्य की समाप्ति के बाद मिट्टी के गड्ढों को एवं चैनलों को भर दिया जाय।
 - ix. परित्यक्त (Abandoned) बोरवेल एवं ट्यूबवेल को आधार (bottom) से भूमि-सतह तक अच्छी तरह से मिट्टी/बालू एवं बोल्डर से भर दिया जाय।
 - x. किसी स्थान पर खुदाई समाप्ति के उपरान्त कार्य स्थल के चारों ओर की भूमि की स्थिति (Ground Condition) को पुनः खुदाई से पूर्व की स्थिति में लाया जाय।
 - xi. जिला पदाधिकारी सरकारी/निजी एजेंसियों के द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन एवं बोरवेल/ट्यूबवेल की स्थिति के संबंध में उनके द्वारा पर्याप्त सुरक्षा एवं सावधानियाँ वरतने को सुनिश्चित कराएंगे।
 - जिला स्तर पर प्रखंडवार एवं ग्रामवार खुदाई किये गये बोरवेल/ट्यूबवेल के आकड़ों को संधारित किया जायेगा, जिसमें खुदाई किये गये बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या, उपयोग में आने वाले बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या, परित्यक्त (Abandoned) एवं खुले हुए बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या, परित्यक्त किन्तु अच्छी तरह से भूमि-सतह तक भर दिये गये बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या एवं परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या जिन्हें अच्छी प्रकार से भरा जाना है।

➤ ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त अनुरूप अनुश्रवण मुखिया/सरपंच एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त के अनुरूप अनुश्रवण संबंधित विभागों के कनीय अभियंता एवं पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

xii. यदि कोई बोरवेल/ट्यूबवेल परित्यक्त किया जाता है तो खुदाई करने वाली सरकारी /अर्द्धसरकारी/निजी इत्यादि एजेंसी को संबंधित विभागों/निजी संवेदको से इस आशय का प्रमाण पत्र लेना होगा कि परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल भूमि की सतह तक अच्छी तरह से भर दिया गया है।

xiii. संबंधित एजेंसीयों एवं विभागों के कार्मिकों/ पदाधिकारियों द्वारा परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल का रैण्डम निरीक्षण किया जायेगा तथा तत्संबंधी आंकड़ों का संघारण जिला एवं प्रखंडस्तर पर किया जायेगा।

3. उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न है।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

27/7
(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 7/7/15

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलों में सभी प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/7
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 7/7/15

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/7
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 7/7/15

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ।

27/7
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2526 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 7/7/15

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/7
प्रधान सचिव

Measures for Prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells.

1. The owner of the land/ premises, before taking any steps for constructing bore well/ tube well must inform in writing at least 15 days in advance to the concerned authorities in the area, i.e., District Collector/ District Magistrate/ Sarpanch of the Gram Panchayat/ any other Statutory/ Concerned officers of the Department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation, as the case may be, about the construction of bore well/tube well.
2. Registration of all the drilling agencies, namely, Government/ Semi Government/ Private etc. should be mandatory with the district administration/ Statutory Authority wherever applicable.
3. Erection of signboard at the time of construction near the well with the following details:-
 - (a) Complete address of the drilling agency at the time of construction/ rehabilitation of well.
 - (b) Complete address of the user agency/owner of the well.
4. Erection of barbed wire fencing or any other suitable barrier around the well during construction.
5. Construction of cement/ concrete platform measuring 0.50 x 0.50 x 0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the well casing.
6. Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts.
7. In case of pump repair, the tube well should not be left uncovered.
8. Filling of mud pits and cannels after completion of works.
9. Filling up abandoned bore wells by clay/ sand/ boulders/ pebbles/ drill cuttings etc. from bottom to ground level.
10. On completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.

11. District Collector is empowered to verify that the above guidelines are being followed and proper monitoring check about the status of boreholes/ tube wells are being taken care through the concerned State/ Central Government/ Private agencies.

12. District/ Block/ Village wise status of borewells/ tubewells drilled viz. no. of wells in use, no. of abandoned bore wells/ tube wells found open, no. of abandoned borewells/ tubewells properly filled up to ground level and balance number of abandoned borewells/ tubewells to be filled up to ground level is to be maintained at District level.

In rural areas, the monitoring of the above is to be done through village Sarpanch and the Executive from the Agriculture Department

In case of urban areas, the monitoring of the above is to be done through Junior Engineer and the Executive from the concerned Department of Ground Water / Public Health/ Municipal Corporation etc.

13. If a borewell/ Tubewells is 'Abandoned' at any stage, a certificate from the concerned department of Ground Water / Public health/ Municipal Corporation/ Private contractor etc. must be obtained by the aforesaid agencies that the 'Abandoned' borewell/tubewell is properly filled upto the ground level. Random inspection of the abandoned wells is also to be done by the Executive of the concerned agency/ department. Information on all such data on the above are to be maintained in the District Collector/ Block Development office of the State.